Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **<u>कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़</u>** मुकाम **<u>चित्तौड़गढ</u>**

<u>आनन्द कुमार</u> बनाम **<u>सरकार</u>**

<u>कार्यवाही अन्तर्गत :–</u> **<u>धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973</u>**

किस्म मुकदमा **<u>विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)</u>** नं0 **<u>124</u>** सन् **<u>2023</u>**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.11.2023	त्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अभियोजन अधिकारी हाजिर। प्रकरण में प्रार्थी अधिकृत स्वामी आनन्द अग्रवाल पिता शंकरलाल अग्रवाल निवासी पिपल्यामण्डी जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश) की और से पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 136/2023 दिनांक 18.04.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 379 एवं 366 भादसं 1860 एवं 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में जब्त शुदा **3500** लीटर पेट्रोल व **14702** लीटर डीजल को प्रार्थी अधिकृत स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जाफ्ता फौजदारी के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर जिला रसद अधिकारी एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ से टिप्पणी/कमेन्ट्स हेतु लिखा गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/5493 दिनांक 31.10.2023 से टिप्पणी/अभिमत प्रेषित कर अवगत कराया गया कि प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोल व डीजल के संबंध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है एवं जब्तशुदा माल की कोई आवश्यकता नहीं है। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित टिप्पणी/अभिमत शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/रसद/विधि/2023/886 दिनांक 31.10.2023 से टिप्पणी/अभिमत/रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में उप महा प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) चित्तौड़गढ़ टर्मिनल से पत्रांक/CTG/Tpt/Aryan LS Date 07-11-2023 प्राप्त हुआ है जो कि शामिल पत्रावली है। रिकार्ड पर लिया जाता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 136/2023 दिनांक 18.04.2023 पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में जब्तशुदा वाहन एवं माल के निस्तारण बाबत् अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण संख्या 012/2023(रसद) दर्ज होकर विचाराधीन है। प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोल एवं डीजल को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है जिसका निस्तारण मूल प्रकरण में ही किया जाना है ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण को मूल प्रकरण के साथ ही सुना जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण को मूल प्रकरण संख्या 012/2023(रसद) के साथ सुनवाई हेतु रखा गया। प्रकरण संख्या 012/2023(रसद) में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ हेतु रूपये **20,00,000/-** अक्षरे बीस लाख रूपये की जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ प्रार्थी आनन्द अग्रवाल पिता शंकरलाल अग्रवाल निवासी पिपल्यामण्डी जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश) को सौंपे जाने के आदेश दिए गये है, अतः पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो। -S/d- (गौरव अग्रवाल) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ 28.11.2023 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	